

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०-617/2020



इस कार्यालय का पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/सोन/2018/पार्ट-VI दिनांक-14.01.2019 एवं मंरेप्र(का०)/वाराणसी मंडल, पूर्व मध्य रेल का पत्र सं०-का/डब्लू/283/अन्तर रेलवे/पा.स्था./भाग-10/18 दिनांक-08.01.2019 के द्वारा श्री रविन्द्र कुमार, ट्रेकमेन्टेनर-IV वेतनमान 5200-20200+1800 जीपी (लेवल-1) अधीन वसेई/पथ/भटनी, वाराणसी मंडल तथा श्री रातीश गुप्ता, ट्रेकमेन्टेनर-IV वेतनमान 5200-20200+1800 जीपी (लेवल-1) अधीन वसेई/पथ/दिधवारा, सोनपुर मंडल के बीच पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंरेप्र(कार्मिक)/वाराणसी मंडल के पत्र सं०-का/डब्लू/283/अन्तर रेलवे/पा.स्था./भाग-10/18 दिनांक-21.10.2020 के द्वारा श्री रविन्द्र कुमार विरमित होकर इस कार्यालय में योगदान हेतु दिनांक-05.11.2020 को रिपोर्ट किये हैं, को समान पद, वेतन, वेतनमान एवं ट्रेड पे में वसेई/पथ/शाहपुर पटोरी के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

श्री रविन्द्र कुमार का अन्य सेवा विवरण हेतु मंरेप्र(का०)/वाराणसी का पत्र दिनांक-21.10.2020 की छायाप्रति संलग्न है। इनका रिपोर्ट करने की तिथि-05.11.2020 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की तिथि को ड्यूटी हेतु प्रतिक्षारत रहे हैं।

चूंकी ये पारस्परिक स्थानान्तरण पर आये है अतः स्थानान्तरण संबंधी कोई लाभ देय नहीं होगा एवं वरीयता नियमानुसार देय होगी। नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने यूनिट में स्थानान्तरण नहीं लेंगे।

कर्मचारी के आवश्यक पहचान हेतु पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर का नमूना एवं बायें हाथ के अंगूठे का निशान राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित है।

 <p>सहायक कार्मिक अधिकारी पूर्व मध्य रेल, सोनपुर मंडल</p>	<p>रविन्द्र कुमार</p> 
---	---


उपरोक्त पर वमई(समन्वय)/सोनपुर का आदेश प्राप्त है।

(रवि कुमार पंडित)
सहायक कार्मिक अधिकारी- II
कृते मंरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर
दिनांक-10.11.2020

सं०- का/283/05/इंजी०/अम-अरे/सोन/पोस्टिंग/2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. मंरेप्र(का०)/वाराणसी, पूर्वोत्तर रेलवे-कृपया उपरोक्त कर्मचारी का तंखा विभाग द्वारा विधित्त सेवा अभिलेख,अवकाश खाता समई(लाईन)/सोनपुर कार्यालय को उपलब्ध करायें।
2. वमई(समन्वय), वमविप्र/सोनपुर।
3. समई(लाईन)/सोनपुर।
4. वसेई/पथ/शाहपुर पटोरी, दिधवारा।
5. संबंधित कर्मचारी। 6. अभिलेख प्रति। 7. कार्यालय आदेशप्रति।
8. मंडलमंत्री/ईसीआरकेयु, अजा-अजजा एशो० एवं ओबीसी एशो० सोनपुर मंडल।


कृते मंरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर